भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2236

गुरूवार, 16 दिसम्बर, 2021/25अग्रहायण, 1943(शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

ट्रैवल एजेंट और गाइड का एकीकरण

2236. श्री ए. वियजकुमार:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश भर के ट्रैवल एजेंट और गाइड का एकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि किसी भी सरकारी निकाय द्वारा ट्रैवल और टूर ऑपरेटरों को केन्द्र सरकार की कोई स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है;

(घ) क्या देश में विभिन्न ट्रैवल और टूर ऑपरेटरों के लिए आईएटीए जैसा सर्वोच्च निकाय सरकार के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है; और

(ड.) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी नहीं, महोदय। यात्रा उद्योग में ट्रैवल एजेंट तथा गाइड की भूमिका अलग-अलग होती है। ज्यादातर मामलों में ट्रैवल एजेंट पर्यटकों को पर्यटन स्थलों पर घुमाने के लिए गाइड को काम पर रखते हैं।

(ग): पर्यटकों के लिए मानकीकृत सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, टूर ऑपरेटर (टीओ)/ट्रैवल एजेंट (टीए)/टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर (टीटीओ) आदि सहित यात्रा और आतिथ्य उद्योग में सेवा प्रदाताओं की विभिन्न श्रेणियों को अपने दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में पांच साल के लिए मान्यता/अनुमोदन देता है। यह पूरी तरह से एक स्वैच्छिक योजना है और सेवा प्रदाताओं के लिए पर्यटन मंत्रालय का अनुमोदन लेना अनिवार्य नहीं है।

(ग) और (ड): पर्यटन मंत्रालय ट्रैवल और ट्रेड स्टेकहोल्डर्स एसोसिएशन जैसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ), एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया (एडीटीओआई), ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएएआई), एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एटीओएआई), इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईटीटीए) के साथ पूरी तालमेल से काम करता है और समय-समय पर स्थिति की मांग के अनुसार उनके सुझाव/इनपुट/सलाह लेता हैं।

****